



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.:सं. NCST/SER-981/JH/55/2023-RO-RNC

दिनांक :30.04.2025

सेवा में,

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स),

बारियातू, राँची, झारखंड - 834009

E.mail: directorrimsranchi@gmail.com

विषय: अभ्यावेदिका श्रीमती प्रेमलता माईकल तिकी, परिचारिका श्रेणी ग्रेडए -, रिम्स हॉस्पिटल, बारियातू, राँची, से प्राप्त अभ्यावेदन "परिचारिका महाविद्यालय, रिम्स, राँची के उप प्राचार्य सह प्रभारी प्राचार्य द्वारा जातिसूचक एवं हीनभावना पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने एवं मानसिक - रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में" ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 17.04.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:यथोपरि

भवदीय

(एच.आर.मीना/H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्रीमती प्रेमलता माईकल तिकी

परिचारिका श्रेणी ग्रेडए -, रिम्स हॉस्पिटल,

बारियातू, राँची -834009,

premlatatirkeymicheal@gmail.com

Mobile No:7258073388

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in

Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या- NCST/SER-981/JH/55/2023-RO-RNC

श्रीमती प्रेमलता माईकल तिकी, परिचारिका श्रेणी ग्रेड -ए, रिम्स हॉस्पिटल, बरियातू, राँची, झारखण्ड मो. 7258073388 के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक : 17.04.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

शिकायत दिनांक 07.07.2023 आयोग में प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वह वर्तमान में परिचारिका श्रेणी ग्रेड "ए" के पद पर कार्यरत है उनको परिचारिका महाविद्यालय, रिम्स, राँची के उप प्राचार्य सह प्रभारी प्राचार्य द्वारा जातिगत सूचक शब्दों से अपमानित किया जा रहा है तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह उल्लेख किया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से होने के कारण जब भी उन्हें परिचारिका महाविद्यालय, रिम्स, राँची के उप प्राचार्य सह प्रभारी प्राचार्य के कक्ष में बुलाया जाता है, तो उन्हें बैठने तक की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि अन्य सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि उक्त प्राचार्य द्वारा उन्हें और अन्य अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को यह कहते हुए प्रताड़ित किया जाता है कि "झारखंडी लोग मूर्ख और गंवार होते हैं।

- आयोग द्वारा इस मामले में नोटिस दिनांक 20.07.2023 द्वारा अपर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, झारखण्ड सरकार एवं निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, बरियातू, राँची झारखण्ड को भेजा गया था।
- निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची से उत्तर दिनांक 17.01.2025 प्राप्त हुआ जिसमें आयोग को अवगत कराया गया कि उक्त शिकायत पर जाँच हेतु एक समिति का गठन किया गया है।
- मामले में दिनांक 06.01.2025, 20.01.2025, 28.02.2025 और 19.03.2025 को आयोग में सुनवाई निर्धारित की गई थी, जिसमें संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं रहे।
- दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई दौरान निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची व् प्रार्थिनी उपस्थित रहे।
- मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-
 - निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची व् प्रार्थिनी ने आयोग के समक्ष अपने पक्ष रखे व् मामले का शान्ति रूप से निपटान होना अवगत करवाया गया।
 - आयोग द्वारा अब इस मामले में और कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः इस मामले को आयोग में बंद किया जाता है।

22/04/2025
(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य/Member
भारत सरकार/Ministry of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/SER-981/JH/55/2023-RO-RNC)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 17.04.2025 at 11:00 A.M. in the case of श्रीमति प्रेमलता माईकल तिर्की, जिला-रांची, झारखंड, उप प्राचार्य सह प्रभारी प्राचार्य द्वारा जातिसूचक एवं हीन भावना पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में।

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		In Chair
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi		
1.	Dr. Raj Kumar Director	9450610933	
2.			
3.			
4.			
5.			
III	Petitioner		
1.	Prem Lata Michael Tinsay.	7258073388	
2.			